मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल--462004

::आदेश ::

भोपाल,दिनांक 14 अक्टूबर,2014

क्रमांक एफ 19–98/2014/1/4:: माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दिनांक 08 अक्टूबर 2014 एमएसएमई कन्वेंशन डे पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई । उक्त घोषणा के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा बोर्ड का गठन निम्नानुसार करता है:–

अध्यक्ष–	माननीय मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
शासकीय सदस्य	प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश
	प्रबंध संचालक, म0प्र0 ट्रायफेक
	प्रबंध संचालक, म0प्र0 लघु उद्योग निगम
अशासकीय सदस्य	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ
	अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती
	अध्यक्ष, पीएचडी चेम्बर ऑफ कामर्स इण्डस्ट्री
	अध्यक्ष, एसोचेम
	अध्यक्ष, सीआईआई मध्यप्रदेश
	अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज म0प्र0
	अध्यक्ष, ऑल इण्डिया मैन्यूफैक्चर्स, ऑर्गनाईजेशन
	अध्यक्ष, एमपी एसोसिएशन वूमेन इन्टरप्रेन्योर्स
	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ चेम्बर कामर्स इण्डस्ट्रीज
अन्य अशासकीय सदस्य (पांच)–	शासन द्वारा अन्य उद्योग संघों से मनोनीत
सदस्य सचिव	संचालक एमएसएमई उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश

2/ उपरोक्तानुसार प्रस्तावित लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड के दायित्व निम्नानुसार होंगे:–

1. एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन हेतु परामर्श एवं सुझाव
2. मध्यप्रदेश की उद्योग नीति पर सुझाव
3. उद्योगों में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण

3/ लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड द्वारा उद्योग संवर्धन संबंधी अनुशंसाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति को प्रस्तुत की जावेगी। लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार की जावेंगी। बैठकों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

14/X/14

(डॉ0 अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 19–98/2014/1/4 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष/शासकीय सदस्य/अशासकीय सदस्य/सदस्य सचिव।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल ।
4. वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित।
5. उप संचालक, जनसंपर्क, (मंत्रालय) प्रकोष्ठ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14/x/14

उप सचिव

म0प्र0 शासन,सामान्य प्रशासन विभाग

14/10/14

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

:: **संशोधित आदेश** ::

भोपाल दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 19–98/2014/1/4 :: मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2014 द्वारा राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। राज्य शासन एतद् द्वारा बोर्ड के गठन को निम्नानुसार **संशोधित** किया जाता है :–

1	मान. मंत्री, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग के स्थान पर **मान. मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग**	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के स्थान पर **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग**	शासकीय सदस्य
3	अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ चेम्बर कॉमर्स इण्डस्ट्रीज के स्थान **पर अध्यक्ष, मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाईजेशन**	अशासकीय सदस्य
4	पांच के स्थान पर **दो अन्य अशासकीय सदस्य**	अन्य अशासकीय सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 19–98/2014/1/4 भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

प्रतिलिपि –

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/संयोजक
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की ओर जारी आदेश साथ मूलनस्ती सहित अग्रेषित।
5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल--462004

:: संशोधित आदेश ::

भोपाल दिनांक 16 जनवरी, 2017

क्रमांक एफ 19—98/2014/1/4 :: राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02 नवम्बर 2016 द्वारा राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड के गठन के संबंध में संशोधित आदेश जारी किये थे। उक्त संशोधित आदेश के अनुक्रमांक 03 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

"अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ चेम्बर कॉमर्स इण्डस्ट्रीज के स्थान पर अध्यक्ष मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाईजेशन" के स्थान पर

"अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ चेम्बर कॉमर्स इण्डस्ट्रीज के नीचे अध्यक्ष, मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाईजेशन" पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(संजय कुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 19—98/2014/1/4 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि —

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की ओर मूल नस्ती जारी संशोधित आदेश सहित अग्रेषित।
5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग